

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

q. 128]

नई विल्ली, मंगलबार, मार्च 24, 1992/चैत्र 4, 1914

No. 128]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 1992/CHAITRA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकल्प के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

प्रधिमुचना

नई विल्ली, 24 मार्च, 1992

सा. का. ति. 339(म):--महापत्तन न्यास भिवित्यम, 1963 (1963 का 38) की घारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में तथा भारत सरकार जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन कक्ष) की अधिमुखना सं. सा. का. ति. 114(म) विनाक 7 मार्च, 1990 का अधिश्वसण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्रारा संबद्दियन्त के स्थासी मंडल में उक्त तालिका के कालम (1) में उल्लिखित हिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने हेतु नीचे वी गई तालिका के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिदिष्ट करती है।

ता लिका

ना। लका	
प्रतिनिधिस्य किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने बाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
पत्तन में लगे श्रमिक	2
सीमा शुल्क विभाग	1
रक्षा सेवाएं (नौमेना)	1
भारतीय रेल	1
महाराष्ट्र सरकार	1
जल-भूतल परिवहन मंद्रालय	1
भ्रन्थ हिन	4
	कुल 11

2. यह द्राधिसूचना 1 भार्त्रेन, 1992 से लागू होगी।

[फा. सं.-18011/3/91---पी टी (1)] श्रणीक जोगी, संयुक्त सन्तिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.339(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 114(E) dated 7th March, 1990, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column. (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Bombay.

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointe d
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
Customs Deptt,	1
Defence Services (Navy)	1
Indian Railways	1
Govt. of Maharashtra	1
Min. of Surface Transport	1
Other Interests	4
	Total: 11

^{2.} This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No,PT—18011/3/91—PT (i)] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

प्रधिसूचना

नई विल्ली, 24 मार्च, 1992

सा. का. नि. 340(प्र):—महापत्तन त्यास प्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखण्ड (ii) के प्रावधानों के प्रनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की प्रधिसूचना सं. सा. का. नि. 113 (प्र) वि. 7 मार्च, 1990 का प्रधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा बम्बई पत्तन के न्यासी मण्डल में उक्त तालिका के कमशः कालम (2) और (3) में दर्गाए गए हितों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्य करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा चुने जाने हेतु नीचे दी गई तालिका के कालम (4) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है।

2. बगर्ते कि उपल तालिका की कम सं. 1 और 2 के सम्मुख उल्निचित्र तिकाय, सरकार के स्थामित्र नियंत्रण में है तो ऐसे निकाय द्वारा का जाने बाने व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

ਗ	रिन का
ZII	177791

क्रम सं.	निकाय ंदा नाम	हिन ुं	नियुक्त किए जाने वा व्यक्तियों संख्या	_
1		3	4	
1. इण्डिस	ान ऑयल कारपोरेशन	— अन्य हित		1
2. शिपिः	ा कारपोरेशन ऑफ इंडिया	जहाज मास्त्रिक	٠, ٦	1
₃ ऑल	इंडिया शिपर्स कॉउंसिल	मिपर्स		1
4. इंडिय सिएए	न मेणनल शिपद्यानर्स एसो- न	जहाज मालिक	;	1
5. महार इंग्रस्ट्र	ाष्ट्र चैम्बर ऑफ कामर्सएंड ो	णिपर्स		1
६. वस्य इंडस्ट्र सम्बद्ध		भिपर्स		1
७ वस्टम	स हाउस ऐजेण्ट ऐसोसिएशन	अन्य हित		1
8. स्टीव	डोरस एसोसिएशन, बम्बई	ग्रन्थ हित		1
		योग ——————		

3. उपर्युक्त प्रधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 18 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करनी है जिसमें न्यासियों का चनाय किया जाएगा।

4. यह मधिसूचना 1 भन्नेल, 1992 से लागु होगी ।

[फा. सं. पी टी 18011/3/91---पी टी iii)] असोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R. 340(E).—In pursuance of the provisions of subclause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 113 (E) dated 7th March, 1990, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests shown respectively in column (2) and (3) of the said Table on the Board of Trustees of the Ports of Bombay.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial number 1 and 2 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

SI. Name of bodies No.		Interest	Number of persons to be appointed
1	2	3	4
1. In	dian Oil Corporation (IOC)	Other Interest	1
	ipping Corproation of India CI)	Shipowners	1

		· _ · · \ · - ·	
1	2	3	4
	All India Shippers Council	Shippers	1
4.	Indian National Shipowners Association (INSA)	Shipowners	1
5.	Maharashtra Chamber of Commerce & Industry	Shippers	1
6.	Bombay Chamber of Commerce & Industry	Shippers	1
7.	Customs House Agents Associa-	Other	ı
	tion, Bombay	Interest	•
8.	Stevedores Association, Bombay	Other	1
		Interest	
		Total	8

- 2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 18th March, 1992 as the period within which the election of Trustees shall be held.
- 3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No. PT-18011/3/91-PT(ii)] ASHOKE JOSHJ, Jt. Secy.

श्रधिसूचना]

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

मा. का. नि. 341(श्र):— महापत्तन न्यास श्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखंड (i) के श्रनुरुप में तथा भारत सरकार अल-भूतल परियष्ट्रन मंद्रास्त्रय (पत्तन पक्ष) की श्रधिसूचना सं. का. का. नि. 116(श्र) दिनांक 7-3-90 का श्रधिक्रमण करते हुएं केन्द्र सरकार एतद्द्रारा कलकत्ता पत्तन के न्यामी मठल में उक्त तालिका के कालम (1) में उन्लिखित हितों का प्रतिनिधिक्त करने के लिए उस सरकार द्रारा नियुक्त किए जाने हेषु नीचे दी गई तालिका के कालम (2) में उन्लिखित न्यक्तियों की क्रम्या विनिविष्ट करती है।

ता लिका

प्रतिनिधित्य किए जाने वासे हिन	नियुक्त किए जाने बाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
पत्तन में लगे श्रमिक	2
सीमा शुल्क विभाग	1
रक्षासेवाएं (नौसेना)	1
मारतीय रेलवे (साउथ-ईस्टर्न रेलये)	1
पश्चिम ग्रंगाल सरकार	1
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	1
भ्रन्य हित	3
योग	10

2. यह श्राधिसूचमा 1 श्रप्रेल, 1992 से लागू होगी।

[फा. सं. पी टी-18011/4/91—पी टी (i)]

भगोक जोणी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S. R.341(E)—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R.116(E) dated 7-3-90, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be apointed by that Government to represent the interest mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Calcutta.

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
Customs	1
Defence Services (Navy)	1
Indian Railways (Sourth Eastern Railway)	1
Govt, of West Bengal	1
Min. of Surface Transport	1
Other Interest	3
	
Total:	10

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No. PT—18011/4/91—PT(i)] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

प्र**धिसूचन**⊺

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सा. का. नि. 342(श्र):— महापत्तन न्यास श्राधित्यम, 1003 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (i) के खड (ग) के उपखण्ड (ii) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-कृतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की श्रीश्चना गं. सा. का. नि. 115 (श्र) दिनांक 7-3-90 का अधिक्रमण करते हुए वेन्द्र सरकार एत्रदृह्वारा कलकत्ता पत्तन के न्यासी मण्डल में उक्त तालिका के कमशाः कालम (2) और (3) में दर्शाए गए हितों में से प्रत्येक का प्रतिनिधिस्य करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा चुने जीने हेंचु नीचे ही, गई तालिका वे वालम (4) में उल्लिखित व्यवितयों की संख्या विनिधिस्य क्षरती है।

2. बागर्ते कि जनत तालिका की त्रम सं 1, 2, 8 अ र 9 के सम्मुख निकाय सरकार के स्वामित्व नियंत्रण में है तो ऐसे निकाय द्वारा मने जाने थाले व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुवत किए जाएंगे।

तालिका

कम सं.	किकास का नाम	हिस	नियुषत जाने व्यक्तियों संस्था	वासे
1	2	3		4
1. शिपिंग	कारपोरे शन भाफ इं डिया लि .	जहाज मालिक		1
2. इण्डियन	प्राथल कारपोरेशन लिमिटेड	भन्य हित		1

1	2	3		4
3. श्राम इ	डिया शिष्पर्म काउंसिल	णिप्पर्स		1
4. एमोसिए	शन श्राफ शिपिंग इन्ट्रेस्ट,			
कलकत्त् र चेगरक	ा वैम्बर आफ कामर्स एंड	जहाज मालिक		1
	पम्बर्भाका कामस एक ा, कलाक्सा	णि पर्म		1
	तेणका पैम्बरआफ कामसै -	शिप्परो		1
एंड हात् ि		विष्य र्भे		
7. इत्प्डयन फलकला	चैम्बर भ्राफ कामसे,	14144+1		1
8. केन्द्रीय व निगम, व	प्रस्तर्देशीय जल परिवहन हरकता	ग्रन्य हिन		1
०. इभिष्ठपत	रोड कंट्रस्मन कारपोरेश	न ग्रन्थ हिं।		1
			 योग	9

3. उपर्युक्त प्रधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के प्रानुसरण में वेन्द्र सन्धार एग्रद्धारा 18 मार्च, 1992 जो समाप्त होने जाली श्रविध को उप प्रविध के रूप में विनिविद्ध करती है जिसमें न्यासियों का धुनाव किया जाएगा ।

पर्प्रविमूचना 1 भग्रैन, 1992 से लागू होगी ।

[फा. सं. पी टी 18011/4/91---पी टी (ii)] भ्रमोक जोमी, संयुक्त समिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.342(F).—In pursuance of the provisions of subclause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Fort Trust Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Trust ert (Forts Wing) No.G.S.R.115(E) dated 7-3-90, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interest shown respectively in column 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Calcutta.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial Number 1, 2, 8 and 9 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Sl. No	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed
1	2	3	4
1.	Shipping Corporation of India Limited.	Shipowners	1
2.	Indian Oil Corporation Ltd.	Other Interest	1
3.	All India Shippers Council	Shippers	1
4.	Association of Shipping Interests, Calcutta.	Shipowner	3 1
5.	Bengal Chamber of Commerce & Industries, Calcutta.	Shippers	1

1	2	3	- 4
6.	Bengal National Chamber of Commerce & Industries.	Shippers	1
7.	Indian Chamber of Commerce, Calcutta.	Shippers	t
8.	Central Inland Water Transport Corporation (CIWTC).	Other Interest	1
	Indian Road Construction Corporation (IRCC).	Other Interest	1
		Total:	9

- 3. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 18-3-92 as the period within which the election of Trustees shall be held.
- 4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992,

[F.No. PT—18011/4/91—PT(ii)] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

प्रधिमुचना

नई विल्ली, 24 मार्च, 1992

मा. का. नि. 343(म्र):--महापमन न्याम म्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) के मनुसरण में तथा भारत सनकार जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) भक्षिमूचना मं. सा. का. नि. 117(भ्र) दिमांक 7-3-1990 का भ्रधिमूचना करते हुए केन्द्र सरकार एतवहारा कांडला पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के कालम (1) में उल्लिखित हितों का प्रतिमिधित्व करने के लिए उस सरकार हारा नियुक्त किए जाने हेतु नीचे दी गई तालिका के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिविध्ध करती है।

तालिका

प्रतिनिधिस्य किए जाने वाले हिस	नियुक्त किए जाने वाले न्यक्तियों की संख्या
1	2
पत्तन में लगे श्रमिक	2
सीमा शुल्क विभाग	1
भा रतीय रे लवे	1
गुजरात सरकार	1
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	1
रक्षा सेवाएं (नौ सेना)	1
मन्य हित	4
-	योग: 11

2. यह मधिसूचना १ मप्रैल, 1992 से लागु होगी ।

[फा. सं. पी. टी.--18011/6/91--पी टी (1)]

मशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.343(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R.117 (E) dated 7-3-1990, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interest mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Kandla.

TABLE

Interests to be represented	,	Number of persons to be appointed
(1)		(2)
Labour employed in the Port		2
Customs Deptt.		1
Indian Railways		1
Govt. of Gujarat		1
Min, of Surface Transport		1
Defence Services (Navy)		1
Other Interests		4
	Total:	11

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No. PT-18011/6/91-PT(i)]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

धर्धसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सा. का. ति. 344(प्र):--महापत्तन न्यास प्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के प्रावधानों के प्रमुप्तरण में तथा भारत सरकार, जल भूतल परिवहत मंद्रास्य (पत्तन पक्ष) की घ्रष्टिसूचना सं. सा. का. ति. 116(प्र) विनांक 7-390 का घ्रष्टिकमण करते हुए केन्द्र सरकार एत्द्रहारा कोडला पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिक, के क्रमणः कालम (2) घोर (3) में दर्शाए गए हिनों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्य करने के लिए प्रत्येक मिकाय द्वारा चुने जाने हेतु नीचे दी गई तालिका के कालम (4) में उदिलखित व्यक्तियों की संख्या विविदिष्ट करती है।

2. बशर्ते कि उयत तालिका की त्रम सं. 5 र्धार 6 के संस्कृद उस्लिखित निकास, सरकार के स्वामिश्य निस्कृण से है तो ऐसे निकास द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकारद्वारा नियुवत विष्णावाणी ।

तालिका

कम सं.	निकाय का नाम	हित	नियुक्त किए बाले व्यक्तियो संदेया	
1	2	3		4
1. इंडिय	न नेशनल शिपधोनर्स एसोसिएश	न शि	पद्मोनर्स	1

1	2	3	4
	-—— त चेम्यर श्राफ कामर्स एंड इंडर्स्ट्र	ंज भिगर्स जि	1
3. पंजाब कामर्स	-हरियाणा-दिल्ली चेम्बर्स श्राफ :	णिपर्म	1
4. गांधीध इंडस्ट्री	प्राप्त चेम्बर्स ग्राफ कामर्ग ग्रौर	भिपर्स	1
 इंडियः 	न ग्रायल कारपोरेशन (ग्राई ग्रोसी	गे) ग्रन्थ हिल	1
६. स्टेट द्रे	डिंग कारपोरेशन (एस टी सी) व	प्रन्य हिन	1
 कुल			6

3. उगर्युक्त ग्राधिनियम की धारा 3 की उपद्यारा (4) के ध्रानुसरण में केन्द्र सरकार एशद्क्षारा 7 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाली ध्रविध को उस ग्रविध के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसमें न्यासियों का चुनाव किया जाएगा ।

4 यह इ.धिस्चना 1 इ.शैस, 1992 से लाग होगी।

[फा. मं. पी टी-18011/6/91-पी टी (ii)]

ग्रमोक जोशी, संगुक्त स**चि**व

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.344(E),—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R.116(E) dated 7-3-90, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bedies to represent each of the interests shown respectively in column (2) and (3) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Kandla.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial numbers 5 and 6 of the said Table being sweed or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Sl. No.	Name of bodies	Interest	Number of persons to be appointed
1	2	3	4
1.	Indian National Shipowners Association.	Shipowners	1
2.	Gujarat Chamber of Commerce & Industries.	Shippers	1
3.	Punjab-Haryana-Delhi Chamber of Commerce	Shippers	1
4.	Gandhiham Chamber of Commerce & Industry	Shippers	1
5.	Indian Oil Corporation (IOC)	Other Interest	1
6.	State Trading Corporation	Other	1
	(STC)	Interest	
		Total:	6

- 2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the afore-said Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 7th March, 1992 as the period within which the election of Trustees shall be held.
- 3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[I·.No.PT—18011/6/91—PT(ii)] ASHOKE JOSHI, Jt. Scey.

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च 1992

सा. का. नि. 345(प्र):-- महापसन न्यास प्रधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) के प्रमुक्तरण में भारत सरकार जल-भृतल परिवहन मतालय (पत्तन पक्ष) की प्रधिसुचन। सं. सा. का. नि. 120(ध्र) दिनांक 7 मार्च, 1990 का प्रधिक्षमण करने हुए केन्द्र सरकार एनदेवारा मद्रास पत्तन के त्यामी मंडल में उकत तालिका के कालम (1) में उिल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्य करने के लिए उस गरकार द्वारा नियुवत किए जाने हेनु नीचे दी गई तालिका के कालम (2) में उिल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिदिष्ट करनी है।

सालिका

प्रतिनिधित्व किए जाने घासे हित	िम्युक्त किए जाने वाले व्यक्तियाँ की संख्या
1	2
पत्तन में लगे श्रमिक	2
सीमा मुल्क विभाग	1
भारतीय रेल	1
रक्षा सेवाएं (नौ सेना)	1
तमिलनाडु सरकार	1
जल-भूतलः परिव ह न महालय	1
भ्रन्य हित	3
योग	01

2. यह प्रधिसूचना 1 सप्रैल, 1992 में लागू होगी।

[फा. सं. पी टी-18011/7/91-पी टी (i)] ग्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.345(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wirg) No. G.S.R.12(14) Cate 7th Nate 1950, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interest mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Madras.

T A	TOI	т.

Interests to be represented		Number of persons to be appointed
(1)		(2)
Labour employed in the Port		2
Customs Department		1
Indian Railways		1
Defence Services (Navy)		1
Government of Tamilnadu		1
Ministry of Su rface Transport		1
Other Interests		3
	Total:	10

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F,No.PT-18011/7/91-PT(i)] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

ग्रधिसूचना

नई विल्ली, 21 मार्च, 1992

सा.का. नि. 346 (प्र): --- महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखड़ (ii) के प्राथधानों के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिषहन मंद्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना मं.सा.का. नि. 121 (प्र) दिनांक 7 मार्च, 1990 का अधिअमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्रारा भवास पत्तन के न्यामी मंडल में उक्त तालिका के अमशा कालम (2) और (3) में दर्णीए गए हिसों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्य करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा चुने जाने हेसु नीचे दी गई तालिका के कालम (4) में उरिलिखत व्यक्तियों की मंख्या विनिर्दिट करती है:

3. बगर्ले कि उक्त तालिका की क.सं. 1,7,8 और 9 के सम्मुख उल्लिखित निकाय, सरकार के स्वामित्व नियंत्रण में है सो ऐसे निकाय द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएगें।

तालिका

क्रम सं. निकाय का नाम	हित	नियुक्त जाने व्यक्तियों संख्या	किए वासे की
1 2	3		4
 गिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया 			
लिमिटेड ,	णिपओनर्स		1
2. इंडियन नेणनल शिपओनर्स एसोसिएशन	शिपओनर्स		1
 ऑल इंडिया शिपओनर्स की उंसिल 	शिपर्स		1
 हिन्दुस्तान पैम्बर ऑफ कामर्स मद्रास 	शिप सं		1
 5. मद्रास चैम्बर ऑफ कामस एंड इंड्रस्ट्री, मद्रास 6. साउथ इंडिया चैम्बर औफ काममें 	शिपर्स		1
एण्ड इंड्रस्ट्री, मदास	शिपर्स		1
 मद्रास रिफाइनरी लिमि., मद्रास 	भ्रन्य हित		1
 मनरल्स एण्ड मेटल ट्रेडिंग कार्पोरेणन 	श्रन्य हित		1
9 त.मेलनाडु इलें बट्टीसिटी बोड (टी एर			
•	श्रन्य हित		1
	योगः		9

उ अर्तुहर परिमागर का ब्रास्ट उ मा अधारा (4) के अनुगरण में केन्द्र सरकार एनद्वारा 7 मार्च, 1992 को समाप्त होने बार्चा श्रवधि को उस श्राधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसमें स्थासियों का चुनाव जिया आएका।

4. यह प्रविसूचना 1 प्रप्रैल, 1992 से लागू होगी । [फा.सं. पी.टी.-18011/8/91-पी टो-(ii) प्रामोक जोगी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R. 346(F).—In pursuance of the provision of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R.121(E) dated 7th March, 1990, the Central Government hereby specifies the number of persona mentioned in column (4) of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interest shown respectively in columns (2) and (3) of te said Table on the Board of Trustees of the Port of Madras:

2. Provided that in the case of mbody mentioned against serial numbers 1,7,8 and 9 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by sch body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Sl. No.	Name of bodies	Interest p	Number of ersons to be appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shipping Corporation of India Ltd.	Shipowners	1
2.	Indian National Shipowners Association	Shipowners	1
3.	All India Shippers Council	Shippers	1
4.	Hindustan Chamber of Commerce, Madras	Shippies	1
5.	Madras Chamber of Commerce & Industry Madras.	Shippers	1
6.	Southern India Chamber of Commerce and Industry, Madras	Shippers s.	1
7.	Madras Refineries Ltu., Madras	Other Interest	1
8.	Minerals and Metal Trading Corporation	Other Interest	1
9.	Tamilnadu Electricity Board (TNEB)	Other Interest	1
		Total:	9

- 2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 7th March, 1992 as the period within which the election of Trustees shall be held.
- 3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No.PT-18011/8/91-PT(ii)]

भ्रधिमुचना

नई दिल्लो, 24 मार्च, 1992

सा.का.ित. 347 (अ) :- महापत्तन न्याम प्रधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंदालय (पत्तन पक्ष) की अधिमुचना संक्षां का.ित. 126 (अ) दिनांक 7-3-90 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार सरकार एतद्द्वारा पारावीप पत्तन के न्यासी मंडल में उक्त तालिका के कालम (1) में उक्तिखित हितों का प्रतिनिधित्य करते के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने हेनु निधे दो गई तालिका के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिधित्य करती है।

नामिया

प्रतिनिधिस्य किए जाने वाले हित	नियुषत किए जाने बाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
प्रतन में नगे श्रमिक	
	2
सीमा णुल्क विभाग	1
रक्षा सेवा (नीमेना)	1
रित्रीय रेलये	î
उडीसा सरकार	
•	1
जल-भूतन परिव हन मंत्रा लय	1
भ्रन्य हित	4
	कल:

2. यह अधियूचना 1 अप्रैल, 1992 से लाग् होगी।

[फा.मं. पी टी-1801 :/ श/91-पीटी (ii)]

श्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.347(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in spersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 126(E) dated 7-3-90, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column(1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Paragip.

TABLE

Interests to be represented		Number of persons to be appointed
(1)		$(\overline{2})$
Labour employed in the Port		2
Customs		ί
Defence Services (Navy)		1
Judian Railways		1
Govt. of Orissa		1
Min. of surface Transport		1
Other Interest		4
	Total:	11

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.N), PT-18011/9/91-PT (i)]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

श्रधिसुवना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सा.का.नि. 348 (अ): — महापलन न्याम अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखड (ii) के प्रावधानों के प्रानुसरण में तथा भारत सरकार, जल-भूतन परिवहन मंत्रालय पत्नन पक्ष की अधिमूचना मं. 125 (अ) दिनांक 7-3-90 का अधिकमण अरते हुए केन्द्र मरकार एनद्द्रारा पारादीप पत्नन के न्यामी मण्डल में उपन मालिका के कमणः कालम (2) और (3) में दर्णाए हितों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्य करने के निए प्रत्येक निकाय द्वारा चुने जाने हेतु नीचे दो गई नालिका के कालम (4) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्देख्य करती है:

2. बशार्ने कि उपल नालिका की कम सं. 5 और 6 के सम्मुख उलिनिखित निकास, सरकार के स्थामित्य निसंत्रण में है तो ऐसे निकास कारा खुने जाने वाले व्यक्ति केन्द्र शरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

साक्षिका

~ ऋ.सं.	निकाय का नाम	हिन	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	
1	2	3		4
	त्म एंड मैंटल्स ट्रेडिंग कारपो (एम एम टी सो)	— — — — - - भ्रन्य हिंत		1
2. इंडियन	नेशनल शिपद्यानर्स एमोसिएस	ान अहाज मलि	ক	1
इंडस्ट्री	ंचैम्बर्न थ्राफ कामर्स एंड	बिपर्स		1
इंडस्ट्री	चैम्बार ऑफ कामर्स एंड	श ्चिपर्स		1
5. तमिलन एन ई	ताडु इनैक्ट्रोमिटी बोर्ड (टी बी)	भ्रन्य हिन		1
 इंडियन 	प्रापत कारपोरेशन	भ्रन्य हित		1
		योग :		6

3. उपयुक्त घिंघितियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 18 मार्च, 1992 को समाप्त होने बाली ध्रविध को उस ग्रविध के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसमें न्यासियों का चुनाव किया जाएगा ।

> [फा.सं. पी टी-18011/9/91- पी टी-(ii)] श्रमोक जोमी, संयुक्त सन्तिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.348(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of Inaia in the Ministry of, Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R.125(E) dated 7-3-90 the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the booies to represent each of the interest shown respectively in column 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Paradip:

2. Provided that the case of body mentioned against serial number 1,5 and 6 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Si. No.	Name of bodies	Interest p	Number of crsons to be appointed
1.	2.	3.	4.
1.	Minetals and Metals Trading Corporation (MMTC)	Other Interest	1
2.	Ingian National Shipowners Association.	Shipowners	1
3.	Orissa Chamber of Commerce & Indu stry.	Shippers	1
4.	Utkel Chamber of Commerce & Industry.	Shippers	1
5.	Tamilnadu Electricity Board (INEB)	Other Interest	1
6.	Indian Oil Corporation	Other Interest	1
		Total:	6

- 2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 18-3-92 as the period within which the election of Trustees shall be held.
- 3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[F.No. PT-18011/9/91-PT(ii)] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

सा.का.नि. 349 (भ):—महापत्तन स्यास मधिनियम, 1903 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में तथा भारत सरकार जन-मृतन परिवहन मंत्रालय (परतन पक्ष) की प्रधिसुचना सं.सा.का.नि. 128 (भ) दिनांक 7 मार्च 1990 का प्रधिक्षमण करते हुए केन्द्र सरकार एनव्द्रारा विशाखा-परतनम परन के न्यासी मंडल में उक्त ठालिका के कालम (1) में लिस्सिंखन हिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने हेनु नीचे वो गई तालिका के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों को संख्या विनिर्धिष्ट करती है।

तालिका		
प्रतिनिधिस्त्र किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	
1	2	
पत्तन में लगे श्रमिक	2	
सीमा भुरूक विभाग	1	
माध प्रवेश सरकार	1	
रक्षा सेवाएं (नौसेना)	1	
भारताय रेलवे	1	
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	1	
ग्रस्य हित	4	
योग :	11	
 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 	•	
[फा.सं. पीट	इं(-18011/10/91-पोटो (i)]	

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G·S.R. 349(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act. 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R. 128 dated 7th March, 1990, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interest mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Visakha putain.

TABLE

Interests to be represented	Number o persons to b appinted	
(1)	1	(2)
Labour employed in the Port Department of Customs		21
Govt. of Andhra Pradesh		1
Defence Services (Navy)		1 I
Indian Railways		1
Ministry of Surface Transport		1
Other Interests		4
	Total:	11

2. This notification shall come into force on 1st Day of April, 1992.

> [F. No. Pt-180 1/10/91-PT (1)] ASHOKE JOSHI, Joint Seev.

मगोक जोशी, संधुक्त सचिव

अधिस्चना

नई दिल्लो, 24 मार्च, 1992

सा.का.नि. 350 (घ) :- महापस्तन स्यास प्रधिनियम, 1903 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के प्रावधानों के भन्मरण में तथा भारत सरकार, जल-मृतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 127 (म) दिनांक 7-3-1990 का मधिकमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्-द्वारा विशाखापटनम पत्नन के न्यासी मण्डल में उक्त तालिका के कमशः कालम (2) और (3) में दर्शाए गए हितों में मे प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा चुने जाने हेतू नीचे दो गई सालिका_ के कालमं (4) में उल्लिखिन व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है

2. बशर्ते कि उक्त नालिका की कम भं. 5 और 6 के सम्म उल्लिखित निकाय, सरकार के स्वामित्व नियंत्रण में है तो ऐसे निका-द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा निष्कृत किए जाएंगे।

सालिका

क, मं. निकाय का नाम	हित	नि युक्त जाने ज्यक्तियों संख्या	क्षिए वा क
1 2	3	4	
1 हिन्दुस्तान पद्रांलियम कार्पोरेशन		 –	
निमिदेङ, विजाग	म्रन्य हित		1
2. खनिज एवं धातु ब्यापार निगम	ग्रन्य हिन		1
 फैडरेणन ऑफ आंध्र प्रदेण चैम्बर ऑफ कीमर्ग एंड इंडस्ट्रो, हैवराबा 	1		1
 विशाखापत्तनम चैम्बर ऑफ कार विजाग शिपसे 	न मं ,		1
5. इंडियन नेशनस शिवओतर्म एसोसि	एशन अन्य हिंद		1
तिमलनाडु इर्लेक्ट्रिसटी बोर्ड (टीएन ई बी)	भ्रन्य हित		1
	योग:	·- -	6

 उपर्यक्त प्रधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनु-सरण में केन्द्र सरकार एतवुद्वारा 7 मार्च, 1992 को समाप्त होते वाली ग्रविध को उस ग्रविध के रूप में विनिर्दिष्ट करनी है जिसमें न्यासियों का चुनाव किया जाएगा ।

4. यह अधिसूचना । अप्रैल, 1992 से लागू होगी । [फा.सं. पी टी-18011/10/91-पी टी (ii)] प्रशोक जोशी, संयक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.350(E).-In pursuance of the provisions of subclause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.G.S.R.127(E) dated 7-3-1990, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests

shown respectively in column 2 and 3 of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam.

2. Provided that in the case of body mentioned against serial Number 1,2 and 6 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

SI. Name of bodies No.	Interest	Number of persons to be appointed	
(1) (2)	(3)		(4)
1. Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Vizag.	o- Other Interest		1
2. Mineral and Metal Trading Corporation	Other Interest		1
3. Federati n of Andhra Prade Chamber of Commerce & Industry, Hyderabad.	sh Shippers		1
4. Visakhapatnam Chamber of Commerce, Vizag	f Shippers		1
5. Indian National Shipowners Association.	Shipowne	rs	1
6. Tamil Nadu Electricity Boa (TNEB)	rd Other Interest		1
	Total:	4	6

- 3. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the afore-said Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 7-3-92 as the period within which the election of Trustees shall be held.
- 4. This notification shall come into force on the 1st Day of April, 1992.

[F.No.PT-18011/10/91-PT(ii)]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy-

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली 24 मार्च, 1992

सा का नि. 351 (अ) :- महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) को धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के

- उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार कोचीन पत्तन से संबंधित भारत सरकार, जल-भूतल परिबहन मंद्रालय (पत्तन पक्ष) की श्रधिसूचना सं.सा. का.नि. 56 (ग्र) दिनांक 21 जनवरी, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करती है।
- 2. उक्त अधिसूचना की नीचे दी गई तालिका में (क) "ग्रन्य हितों" से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी श्रयात :-

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति तमों की संख्या

''ग्रन्य हित''

(ख) कालम (2) में "कुल" शब्द के सम्मुख अंक "9" के स्थान पर अंक "12" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

> [फा.सं. पी टी -18011/5/91-पी टी (i)] श्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

G.S.R.351(E).—In exercise of powers conferred by the sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No.GSR56 (E) dated 21st January, 1992 relating to the Port of Cochin.

2. In the Table below the said notification (a) for the entries relating, to "other interests" the following entries shall be substituted namely:—

Interests to be appointed

No. of persons to be appointed

Other Interests'

4

(b) against the word 'total' in the column (2) for the figure '9', the figure '12' shall be substituted.

[F.No.PT—18011/5/91—PT(i)]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.